



Neutral Citation No 2026:AHC-LKO:21262

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ खंडपीठ

रिट - ए संख्या - 5596 वर्ष 2023

रजित राम यादव और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अजय माधवन, पीयूष अग्निहोत्री, शिव शशांक

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, राज प्रिया श्रीवास्तव, संजय

कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 21

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय माधवन और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. शीर्षक वाली यह रिट याचिका याचिकाकर्तागण द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है,

i. न्याय के हित में सर्टिओरारी/उत्प्रेषण की प्रकृति का एक रिट या आदेश जारी किया जाए, जिसके द्वारा दिनांक 15.07.2023 के आक्षेपित आदेशों जो अनुलग्नक संख्या 1 और 2 के रूप में संलग्न हैं को रद्द किया जाए, और साथ ही दिनांक 24.05.2023 के आदेश जो इस रिट याचिका में अनुलग्नक संख्या 3 के रूप में संलग्न हैं को भी रद्द किया जाए।

ii. न्याय के हित में एक मेंडमस/परमादेश रिट भी जारी की जा सकती है, जिसमें प्रत्यर्थागण को यह आदेश दिया जाए कि वे दोनों याचिकाकर्तागण के वेतन से मई 2023 और जून 2023 के महीनों में काटी गई राशि वापस करें, और इसके अतिरिक्त बिना किसी कटौती के मासिक वेतन का भुगतान जारी रखें।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. याचिकाकर्तागण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके वेतन का निर्धारण बदल दिया गया है, और परिणामस्वरूप गलत वेतन निर्धारण के बदले याचिकाकर्तागण को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली करने का निर्देश जारी किया गया है।

4. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि 24.05.2023 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि न तो याचिकाकर्तागण पर कोई धोखाधड़ी या गलतबयानी का आरोप लगाया जा सकता है, और न ही वेतन के गलत निर्धारण के संबंध में उनकी कोई ऐसी भूमिका है जिसका आरोप उन पर लगाया जा सके। आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्टेट ऑफ पंजाब और अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) और अन्य (2015) 4 SCC 334** के प्रकरण में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत वेतन के गलत निर्धारण के कारण याचिकाकर्तागण को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं।

5. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने काफी देर तक बहस करने के पश्चात यह प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थागण द्वारा किए गए वेतन निर्धारण में सुधार के संबंध में किसी भी अनुतोष पर बल नहीं दे रहे हैं, अपितु वे केवल यह प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रत्यर्थागण द्वारा किए गए नए वेतन निर्धारण के आधार पर कोई भी वसूली न की जाए।

6. राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यद्यपि इस रिट याचिका में चुनौती दिए गए आदेशों का बचाव करने का प्रयास किया, परन्तु वे वेतन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निर्धारण में हुई उस त्रुटि के संबंध में याचिकाकर्तागण की किसी भी भूमिका को इंगित नहीं कर सके, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है।

7. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है, और मैंने पाया है कि न तो याचिकाकर्तागण पर किसी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, और न ही उनके वेतन निर्धारण में उनकी कोई भूमिका बताई गई है। इसलिए यदि गलत वेतन निर्धारण के कारण याचिकाकर्तागण को कोई ऐसी राशि दी गई है जिसके वे हकदार नहीं थे, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रफीक मसीह (उपर्युक्त)** मामले में दिए गए निर्णय में निर्धारित विधि के अनुसार वह राशि उनसे वापस नहीं ली जा सकती।

8. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थागण द्वारा याचिकाकर्तागण के वेतन के पुनर्निर्धारण को रद्द करने की प्रार्थना पर बल नहीं दिया है, अतः यह न्यायालय उक्त मुद्दे पर निर्णय देने हेतु आगे नहीं बढ़ रहा है।

9. उपर्युक्त कारणों को देखते हुए इस रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और गलत वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप याचिकाकर्तागण को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली से संबंधित दिनांक 24.05.2023 और 15.07.2023 के आदेशों को रद्द किया जाता है। यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई राशि पहले ही वसूल कर ली गई है, तो उसे तत्काल याचिकाकर्तागण को वापस कर दिया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. प्रत्यर्थागण इस हेतु स्वतंत्र रहेंगे कि वे याचिकाकर्तागण को संशोधित वेतन निर्धारण के अनुसार वेतन का भुगतान करें।

24 मार्च 2026

अखिलेश/-

(न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।